पं०सं० 331 / जि०वि०से०प्रा० फ़िरो० दिनांक-10/4/2024

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद

प्रेस विज्ञप्ति

उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्र संख्या- 2829/एसएलएसए-31(सी)/1997 दिनांक जुलाई 27, 2022 के अनुक्रम में मध्यस्थता की व्यवस्था सुदृढ बनाये जाने हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फिरोजाबाद के आदेश दिनांकित 09-04-2024 के अनुक्रम में मध्यस्थता केन्द्र फिरोजाबाद में 07 मध्यस्थगणों की नियुक्ति की जानी है।

मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए निम्न अर्हतायें लागू होंगीः-

1- ऐसे अधिवक्ता, जिनके पास न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो।

2- सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।

3- ऐसे वृतिक/विशेषज्ञ, जिनके पास अपने-अपने क्षेत्रों में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो और जो विधि के क्षेत्र से सुपरिचित हों।

इच्छुक आवेदकगण अपना आवेदन-पत्र मय अभिलेखों दिनांक 25-04-2024 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फिरोजाबाद में जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएगें। आवेदन पत्र के साथ कोई शुल्क देय नहीं है। आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

भवदीय

10/04/24

(यजुवेन्द्र विक्रम सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
फिरोजाबाद

प्रतिलिपि-

1- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय एवं बार के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

2- जिला सूचना अधिकारी, फिरोजाबाद को समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।

3- नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर, को जनपद न्यायालय की बेबसाइट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फिरोजाबाद

मध्यस्थ के पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

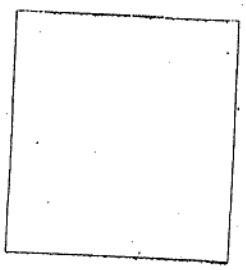

1- नाम----------

2- पिता का नाम----------

3- पता----------

4- मोबाइल नं०----------ई-मेल आई डी----------

5- जन्मतिथि---------- उम्र दिनांक 30-06-2023 को----------

6- शैक्षिक योग्यता----------

7- जाति---------- अनु०जाति/पिछडी जाति/अ०ज०जा०----------

8- मध्यस्थता में विशेष अर्हता या अनुभव, यदि कोई हो----------

9- बार काउंसिल नामांकन संख्या और दिनांक----------

(केवल अधिवक्ताओं के लिए लागू)

10- क्या आपके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है?----------

11- क्या आपको किसी नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिए न्यायालय द्वारा सिद्धदोष किया गया है?----------

12- क्या आपको दिवालिया न्याय निर्णीत किया गया है या विकृतचित्त का होना घोषित किया गया है?

घोषणा पत्र

यह कि मैं..... पुत्र/पुत्री श्री..... एतदद्वारा निवेदन करता हूँ कि मैं.....न्यायालय में मध्यस्थ के रूप में पैनल में रखे जाने हेतु इच्छुक हूँ। और उ०प्र० सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 के नियम 3 के अधीन पैनल में रखे जाने के लिए अपनी सहमति देता/देती हूँ। यह आश्वासन देता/देती हूँ कि मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान उक्त नियमावली के नियम 22 में यथा विहित आचारों का अनुसरण करूंगा/करूंगी। मैं, भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थ प्रशिक्षण ग्रहण करने का वचन देता/देती हूँ। मैं घोषणा करता हूं/करती हूं कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

स्थान----------

दिनांक----------

आवेदक का हस्ताक्षर